रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 1994/श्रावण 25, 1916
No. 346] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 1994/SRAVANA 25, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1994

सं. 122/94—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 640 (अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 75/94—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 29 मार्च 1994 का निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त सूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

(i) क्रम सं. 6 के सामने स्तम्भ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "डेसफेरीओक्सामीन मीजाइलेट इंजेक्शन, डेसफेरीओक्सामीन मीथेन सलफ़ोनेट इंजेक्शन" प्रविष्टि रखी जायेगी;

(ii) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त. स्थापित की जायेंगी अर्थात् :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	30	डेसफेरीओक्सामीन इंजेक्शन	कुछ नहीं	

[फा.सं. 332/73/94-टी.आर.यू.]
सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 1994

NO. 122|94-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 640(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the nttification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 75|94—Central Excises, dated the 29th March, 1994, namely :—

In the Table annexed to the said notification,—

(i) against S. No. 6, in column (3), for the entry, the entry "Desferri-cxamine mesylate injection, Desferrioxamine methane sulphonate injection" shall be substituted ;

(ii) after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
,,7.	30	Desferrioxamine injection		

[F. No. 332|73|94-TRU]
SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994